

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर बस्तर 494001 (छत्तीसगढ़)



फोन (कार्या) : 07782-222006 (निवास) : 227634 (फैक्स) : 07782-222120 E-mail-ccfjagdalpur@rediffmail.com

क्र./व.त.अ./ 615

जगदलपुर, दिनांक 09/03/2018

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

भू-प्रबंध

छत्तीसगढ़ रायपुर

विषय :- Diversion of 70.782 ha. Of forest land in favour of CSPTCL for construction of 220 KV Jagdalpur – Barsoor Transmission Line under Forest (Conservation) Act, 1980 in Bastar and Dantewada Districts in the State of Chhattisgarh.
पंजीयन क्रमांक /FP/CG/TRANS/ 23475/2017

- संदर्भ :-1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर का पत्र क्रमांक F.No. FC-III/CH/-25/2018-NGP/3302 Date 21-02-2018.
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक/ 684 दिनांक 05.03.2018।
3. वनमण्डलाधिकारी दंतेवाड़ा वनमण्डल दंतेवाड़ा का पत्र क्रमांक/क.त.अ./1598 दिनांक 09.03.2018।

—:000:—

विषयान्तर्गत प्रतिवेदन है कि विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर द्वारा 10 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। वनमण्डलाधिकारी दंतेवाड़ा वनमण्डल द्वारा विषयांकित जानकारी आवेदक संस्थान से प्राप्त कर परीक्षण उपरांत अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है जो निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
i.	Name of Signing authority has not been mentioned in Part-II (Bastar Forest Division) and Part-III of Form-A. Further date of Submission has not been mentioned in Part-I and Part-II (Dantewada Forest Division).	वनमण्डलाधिकारी बस्तर/दंतेवाड़ा वनमण्डल, का Form-A Part-II में हस्ताक्षर अंकित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
ii.	Detail of area available for plantation of dwarf species, preferably medicinal in the clearnce available under the conductor and scheme of plantation has not been provided in the proposal.	प्रस्ताव में कंडक्टर के दोनों ओर औषधीय वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन तैयार कर संलग्न किया गया है।
iii.	Part-I submitted online mentioned the period for which diversion is sought as 0 years. Exact period for which diversion is being sought by the User Agency should be indicated by the User Agency and submitted to the Regional Office.	आवेदक विभाग द्वारा Form-A Part-I में ऑनलाईन में 0 वर्ष के स्थान पर सुधार कर 50 वर्ष अंकित किया गया है।

iv.	Details of survey numbers pertaining to the non-forest land have not been provided, the same needs to be submitted along with certificate from the DCF concerned that survey number pertaining to the non- forest land does not falls into the deemed forest category on which of Forest. (Conservation) Act, 1980 are applicable.	प्रस्तावित गैर वनभूमि, वन की श्रेणी में नहीं आता है। जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू नहीं होता है। परन्तु निर्देशानुसार गैर वन भूमि का सर्वे नंबर का राजस्व विभाग से सत्यापन कराकर मूलतः संलग्न है।
v.	Map, depicting the alternative alignments explored by the User Agency has not been submitted along with the proposal.	प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित मानचित्र तथा 03 विकल्पों में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण प्रस्ताव में कंडिका क्र/43 संलग्न है। पुनः छायाप्रति संलग्न है।
vi.	Certificate from the DCF concerned regarding location of the project outside the PAS has not been submitted along with the proposal.	प्रस्तावित विद्युत लाईन कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से होकर नहीं गुजर रही है, परन्तु प्रस्तावित क्षेत्र कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के 10 वर्ग कि.मी. की परिधि में आता है।
vii.	Cost-Benefit analysis has to be done as per MoEF&CC latest guideline dated 01.08.2017 State Government may be asked for Submission of same as per the MoEF&CC latest guideline dated 01.08.2017.	नवीनतम दिशा निर्देशानुसार COST BENEFIT ANALYSIS प्रस्ताव में प्रेषित किया गया है। पुनः छायाप्रति संलग्न है।
viii.	It has been mentioned that proposed alignments is passing through the area within 10 km buffer from kanker National Park. Hence, comments of PCCF, Wildlife may be obtained regarding any adverse impact on local wildlife due to proposed transmission line.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा) सह मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा उनके पत्र क्र/248 दिनांक 16.01.2018 द्वारा प्रस्ताव में अभिमत दिया गया है कि उक्त प्रस्ताव कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के 10 कि.मी. की परिधि में पार्क बाउण्ड्री से होकर गुजर रही है, जिससे पर्यावरण एवं वन्य प्राणियों को नुकसान की संभावना नहीं है। सहपत्र सहित Part I,II,III की छायाप्रति संलग्न है।
ix.	Details of employment potential in terms of man days of skilled, semiskilled and unskilled persons on permanent (direct and indirect) and temporary (direct and indirect) basis have not been provided.	प्रस्ताव में कंडिका क्रमांक/7 Form IV 1. Project Detail (VI) में रोजगार उत्पन्न होने का विवरण दिया गया है, छायाप्रति संलग्न है।

x.	Copy of undertaking from the User Agency and maps showing the alternate alignment by passing the forest land in accordance with the MoEF&CC's Guidelines dated 07.01.2013 has not been submitted along with the proposal.	प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के लिये वन भूमि की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में अन्य विकल्पों का आवेदक संस्थान द्वारा पता लगाया गया है, किन्तु कोई भी विकल्प नहीं पाया गया। अतएव प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। इस संबंध में की जा रही वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है, जो प्रस्ताव में कंडिका क्रं/10 में संलग्न है। पुनः छायाप्रति संलग्न है।
----	---	---

अतः प्रतिवेदन मय अभिलेख सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
जगदलपुर वृत्त जगदलपुर
जगदलपुर दिनांक

पृ.क्र./व.त.अ./ 616

प्रतिलिपि :-

1. कमिश्नर, बस्तर - संभाग जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला - बस्तर / दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी, बस्तर/दंतेवाड़ा वनमण्डल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
4. कार्यपालन अभियंता, 400 के.व्ही.लाईन निर्माण संभाग छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या. कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

प्रपत्र - 3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम :	220 के.व्ही.डी.सी.डी.एस जगदलपुर - बारसूर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है।		
2	आवेदक विभाग का नाम	कार्यपालन अभियन्ता 400 के. व्ही. लाईन निर्माण संभाग छ.रा. वि. पारे. क. मर्यादित कांकेर (छ.ग.)		
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	कार्यपालन अभियन्ता 400 के. व्ही. लाईन निर्माण संभाग छ.रा. वि.पारे. क. मर्यादित कांकेर (छ.ग.) द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत 23.535 हे. एवं दंतेवाड़ा वनमण्डल के अन्तर्गत 47.247 हे. कुल 70.782 हे. आरक्षित/राजस्व वनभूमि में 220 के.व्ही.डी.सी.डी.एस जगदलपुर - बारसूर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण के लिए मांग किया गया है।		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		बस्तर	बस्तर वनमण्डल जगदलपुर	बस्तर, जगदलपुर एवं चित्रकोट
5	वनभूमि का विस्तृत विवरण	वन खण्ड	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल
	क: आरक्षित वन	—	—	—
	ख : सीमांकित संरक्षित वन	—	—	—
	ग : असीमांकित संरक्षित वन	—	—	—
	घ : राजस्व वन भूमि (छोटे/बड़े झाड़ के जंगल)	Range Name	Name of Village	Compartment no/Khasara no. Total hectare
		Bastar	Mahupalbarai	98,91,100,85 1.571
		Bastar	Bangapal	22,19 0.219
		Bastar	Kolchur	451 0.057
		Bastar	Kaviasana	547 0.033
		Chitrakote	Surguda	613,530,528,521,519,516,526,5 24,522,646 2.922
		Chitrakote	Karanji	874 0.293
		Jagdulpur	Tekameta	327325 0.120
		Chitrakote	Palva	41,39,28 0.446
		Chitrakote	Raikot	73,238,18 0.853
		Chitrakote	Pathreli urf udva	710,705,704,695,356,321,298 0.434
		Chitrakote	Mavalibhata	14 0.044
		Chitrakote	Burungpal	847,779,699,695,694 2.149
		Chitrakote	Gurram	34,91,88,92 0.745
		Chitrakote	Telga arapur	13/2 0.200
		Chitrakote	Aerakot	590,375,262 0.072
		Chitrakote	Nainnar	847,846,845,843,833,834,859,7 45,744,848,850 3.066
		Chitrakote	Katakanda	200,199 0.131
		Chitrakote	Badekilepal	381/52 0.211
		Chitrakote	Mutanpal	293,291,272,268,226 2.419

Chitrakote	Tirthum	155,153,154,115,114	1.635
Chitrakote	Lalaguda	486435419	1.080
Chitrakote	Dhokhum	80,78,77,75,30,71,17,20,18	2.664
Chitrakote	Kodenar	714,699,647	1.153
Chitrakote	Turangur	363,257,184	1.018
Total Forest Land (Revenue forest)			23.535

जिला	वनमण्डल का नाम	परियोजना स्थल	
दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	जगदलपुर- बारसूर दंतेवाड़ा वनमण्डल अंतर्गत 47.427 हे	
वन खण्ड	कक्ष क्रमांक / ख.क्र.	कुल रकबा हे.में	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल हे.में
बारसूर आरक्षित	RF 1274	451.516	5.950
	RF 1264	132.338	5.786
	RF 1265	141.796	3.797
	RF 1267	331.083	4.323
	RF 1299	216.876	3.373
	RF 1300	335.026	11.975
योग :-			35.204 हे.

राजस्व वनभूमि	ग्राम का नाम	खसरा क्रं.	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल (हे. में)
राजस्व वनभूमि	हिड़पाल	1	0.245
		11	0.227
		12	0.190
		13	0.356
		2	0.208
		3	0.356
		398	0.327
		4	0.985
		419	0.001
		433	0.080
		434	1.071
		438	0.392
		439	0.303
		440	0.524
		442	0.251
		444/1	0.562
		447	0.274
		449	0.001
		454	0.223
		458	0.341
राजस्व वनभूमि	हिड़पाल	460	0.146
		468	0.486
		479	0.192
		490	0.057
		497	0.444

		502	0.457	
		6	0.001	
		8	0.392	
		9	0.465	
	कटुलनार	465	0.587	
		359	0.105	
		360	0.030	
		379	0.074	
		380	0.872	
		412	0.790	
		184	0.028	
	योग		12.043	

Name of Forest Division	Reserved Forest (Area in hectares)	Protoected Forest (area in hectares)	DPF	Revenue Forest (area in hectares)	Total (area in hectares)
Bastar	0.00	0.00	0.00	23.535	23.535
Dantewada	35.204	0.00	0.00	12.043	47.247
Total Area	35.204	0.00	0.00	35.578	70.782

आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार

बस्तर वनमण्डल	दंतेवाड़ा वनमण्डल
मिश्रित, घनत्व 0.4 साइट क्वालिटी U.S.	मिश्रित, घनत्व 0.4 से 0.7, साइट क्वालिटी II - IVA

7 आवेदित वन क्षेत्र में वृक्षों का विवरण

(अ) वृक्षों की संख्या 35 मीटर चौड़ाई में

(ब) वृक्षों की संख्या 03-03 मीटर चौड़ाई में

प्रजाति मिश्रित,	प्रजाति मिश्रित,
वृक्ष 719	वृक्ष 4860
कुल वृक्ष 5579	
276	2074
कुल वृक्ष 2350	

8 आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति

बस्तर वनमण्डल	दंतेवाड़ा वनमण्डल
सामान्य	सामान्य

9 आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू. डी./वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)

आवश्यकता नहीं।

10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदन करें।	बस्तर वनमण्डल	दंतेवाड़ा वनमण्डल
		राजस्व वनभूमि (छोटे झाड़ के जंगल) वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वनमण्डल रायपुर से प्राप्त वनस्पति मानचित्र अक्षांश एवं देशांश के आधार पर 10 कि.मी. की परिधि में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान (National Park) के अंतर्गत आता है। परन्तु विद्युत लाईन निर्माण से पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। ऐसे प्रकरण में National Board of Wild Life से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 5-3/2007- एफ.सी. (पी.टी.) दिनांक 19.08.2010 संलग्न है।	नहीं
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष /भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	आवश्यकता नहीं है।	
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तों संक्षिप्त विवरण देवें।	नहीं	

प्रमाण-पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक संस्थान द्वारा मांग की गई आरक्षित वनभूमि/राजस्व वनभूमि कुल 70.782 हे. गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

स्थान :- जगदलपुर

दिनांक :- 10/12/2014

(व्ही. श्रीनिवास राव)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग- 3
(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या :- FP/CG/TRANS/23475/2017

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई । क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

yes, 10.12.2017,

15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।

yes,

16. प्रस्ताव कि स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ सिफारिशें ।

070.782 ha of forest-area recommended for diversion of Transmission line.

दिनांक : 10-12-2017

स्थान : जगदलपुर

हस्ताक्षर श्री. श्रीमान् राव
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
नाम कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर (छ.ग.)